

प्रशासकीय कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।

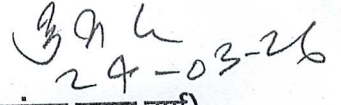
प्रकीर्ण आदेश संख्या - 147 सन् 2026 ई०

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक संख्या-3663/Admin.(E-I) Section/XC-4/2026 दिनांकित 24.03.2026 के माध्यम से 'राम नवमी' के अवसर पर पूर्व में घोषित अवकाश दिनांक 26.03.2026 (गुरुवार) के स्थान पर दिनांक 27.03.2026 (शुक्रवार) को घोषित किया गया है तथा दिनांक 26.03.2026 (गुरुवार) को न्यायालय पूर्ववत् खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, अयोध्या में **दिनांक 27.03.2026 (शुक्रवार)** को 'राम नवमी' के अवसर पर अवकाश रहेगा तथा **दिनांक 26.03.2026 (गुरुवार)** को न्यायालय पूर्ववत् खुला रहेगा एवं नियमित न्यायिक कार्य सम्पादित किया जाएगा।

आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी, अयोध्या, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या तथा अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों/ग्राम न्यायालयों को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

दिनांक: 24.03.2026

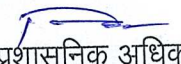

(रणंजय कुमार वर्मा)
जनपद न्यायाधीश
अयोध्या।

संख्या - 2056 /अयोध्या/दिनांक:-24/03/2026.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त न्यायालय/कार्यालय, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
2. ☒ नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय अयोध्या की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
5. समस्त ग्राम न्यायालय, रुदौली, बीकापुर एवं मिल्कीपुर के पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित बार को सूचित करें।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या।
7. अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
8. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अयोध्या।
9. जिला सूचना अधिकारी, अयोध्या को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार हेतु।
10. सम्पादक, दैनिक समाचारपत्र को प्रकाशनार्थ।
11. नोटिस बोर्ड।
12. सम्बन्धित पत्रावली।

आदेशानुसार,


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय,
अयोध्या।